न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 039/2019

किशोरीलाल बनाम रतनीदेवी व अन्य

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता,

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री राजवीरसिंह अधिवक्ता –प्रार्थीगण
2. श्री सुखदेव सिंह अधिवक्ता –अप्रार्थी 1,2,4
3. श्री विनोद कुमार भाटी अधिवक्ता –अप्रार्थी 13,15

दिनांक :– 30.10.2019

–:: आदेश ::–

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 13, 15 द्वारा दिनांक 11.09.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11, स.प. धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता पेश किया जिसके तथ्यानुसार जिस रकबा के सम्बंध में मौजूदा वाद पेश किया गया है, उसमें चक 6 जैड ए, पटवार हल्का रामनगर के खाता सं0 42/36, मु0 न0 32 के किला न0 22 ता 25 की 4 बीघा में से 2 बीघा भूमि का विक्रय अनुबंध दिनांक 13.06.06 के आधार पर एक दावा संविदा की पालना का सिविल न्यायाधीश, श्रीगंगानगर में अनवानी जयदयाल आदि बनाम विमला देवी आदि विचाराधीन है. जो न प्रकरण सं0 93/15 से विचाराधीन है, गत पेशी 31.08.19 नियत थी तथा आगामी पेशी 12.9.19 नियत है। फर्दे अहकाम व दावा की प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल है। इस प्रकार जिस भूमि के सम्बंध में मुश्तरका खाता होने का कथन कर मौजूदा वाद पेश किया गया है, उसमें से उपरोक्त भूमि का वाद पहले से ही सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने से वादी को कानूनन वाद कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ तथा सिविल न्यायालय में मुकदमा पहले से ही विचाराधीन होते हुए मौजूदा वाद विधि द्वारा वर्जित होने से भी चलने योग्य है। वादी को सिविल न्यायालय में चल

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

रहे उपरोक्त वाद सं0 93/15 की जानकारी होते हुए उसने मौजूदा वाद पेश किया है। इस प्रकार से भी मौजूदा वाद चलने योग्य नहीं है। लिहाजा प्रार्थना–पत्र पेश करके अर्ज है कि वादी का वाद उपरोक्त कारणों से खारिज करने का आदेश फरमाया जावें।

वादी की ओर से दिनांक 17.10.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार जिस दावा सं0 93/15 सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने का कथन किया गया है उस दावा में सिविल न्यायालय को केवल इकरारनामा दिनांक 13.06.06 की वैधता व उससे जुड़े प्रश्नों के बारे में ही निर्णय करना है जबकि प्रस्तुत मामला दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92ए में माननीय न्यायालय को मुख्य रूप से संयुक्त खाता के विभाजन के बारे में सुनवाई कर अच्छी व माडी, काश्त की सुवधाओं, खाला रास्ता आदि के बारे में निर्णय करना है, इस प्रकार सिविल वाद के विचाराधीन होते हुए इस दावा के निर्णय में कानूनन कोई बाधा नहीं है क्योंकि मुश्तरका खाता का प्रत्येक हिस्सेदार अपने हिस्सा की भूमि को यदि मुंतकिल करता है तो उसको कोई कानूनी बाधा नहीं हो सकती, इन हालात में मौजूदा वाद राजस्व न्यायालय के ही अधिकार क्षेत्र का बनता है तथा धारा 207 आर टी एक्ट के अनुसार इस प्रकार के वाद को केवल राजस्व न्यायालय ही सुनवाई कर निर्णय कर सकता है, ना कि कोई सिविल न्यायालय संयुक्त खाता की भूमि का विभाजन का वाद सुन सकता है। इस प्रकार प्रतिवादीगण का यह कहना कि मौजूदा वाद विधि द्वारा वर्जित है, स्पष्ट तौर से गलत है, इसके अलावा इस मद में दर्ज कथन साक्ष्य तलब है, जिनका निर्णय साक्ष्य लेकर ही तय किया जाना है, समस्त वाद को पढने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि वाद–पत्र से वाद कारण प्रकट होना स्पष्ट अंकित किया गया है तथा बिनाए मुखासमत है के बारे में भी स्पष्ट कथन किया गया है, अतः प्रतिवादीगण ने केवलमात्र दावा को लम्बा करने की नियत से मौजूदा प्रार्थना–पत्र पेश किया है, जिससे कि दावा को लम्बा किया जाकर अच्छी भूमि को मुंतकिल कर अनुचित लाभ उठाया जा सकें। वादी ने

इन प्रतिवादीगण के खिलाफ अच्छी भूमि भू–खण्ड बनाकर मुंतकिल कर अनुचित लाभ उठाने के आरोप लगाकर विभिन्न प्रार्थना–पत्र भी पेश किये है तथा कार्यवाही कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट का प्रकरण भी पेश किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण येनकेन प्राकरेण मुकदमा को लम्बा करना चाहते है तथा इसी कारण प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी पेश किया गया है, जिससे कि न्यायालय को मुगालता देकर दावा खारिज करवाकर अच्छी भूमि को मुंतकिल किया जा सके। इस प्रकार प्रतिवादीगण का प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी की परिधि में नहीं आता। सम्पूर्ण दावा के पढने मात्र से वाद कारण प्रकट होना भी स्पष्ट है। वाद पूरे न्यायशुल्क पर भी पेश किया गया है, जिसके बारे में प्रतिवादीगण ने कोई आपति नहीं की। वाद दो प्रतियों में भी पेश किया गया है, वाद संयुक्त खाता के विभाजन का होने से 207 आर टी एक्ट केवल राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का होना भी स्पष्ट है, अतः विधि द्वारा वर्जित नहीं है तथा ना ही नियम 9 के उपबंधो की पालना ना करने का कोई आरोप ही लगाया गया है, अतः प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज करने योग्य है। प्रतिवादीगण केवल जवाब दावा के माध्यम से ही अपना पक्ष रख सकते है, जिस पर तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य लेकर निर्णय किया जा सकता है, अतः जवाब दावा पेश करने से पूर्व इस प्रकार का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है। ऐसे उजर जवाब दावा के माध्यम से उठाये जा सकते है, जिस पर कानूनी तनकी कायम होकर भी सनवाई कर निर्णय किया जा सकता है, अतः स्पष्ट कर प्रतिवादीगण जानबूझकर जवाब दावा पेश ना कर मुकदमा को लम्बा करना चाहते है। लिहाजा जवाब प्रार्थना–पत्र पेश करके अर्ज है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण का प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें, चूंकि निर्धारित अवधि में जवाब दावा पेश नहीं किया गया, अतः सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाबदेही बंद करने का भी आदेश फरमाया जावें।

बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, स.प.धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तथ्यों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि

वादी द्वारा एक अन्य वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि पर सिविल न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है। स्थगन प्राप्त वादाधीन भूमि एवं हस्तगत प्रकरण में भूमि समान है। दोनो प्रकरणों में अनुतोष भिन्न है किन्तु भूमि समान है, एवं भूमि पर सिविल न्यायालय द्वारा स्थगन जारी है। स्थगन के पश्चात् हस्तगत प्रकरण में किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, स.प.धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

आदेश दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2019.11.11 13:29:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: